

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

बान अनिल बनाम आगोली
 मुकदमा नं. दावा 5.L सन् २०१८

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
२५ ^{०५} / _{१८}	<p>वकील वादी श्री भजनाराम ने हाजि अदालत छोडर वादपत्र पेश किए। दावा दर्ज रजिस्टर किए जावे। वकील वादी के अभिधयनानुसार प्रकरण शर्तीनामा का है। अतः पत्रावली बैम्प कोर्ट गोकिरपुरा में दिसे २७-०५-२०१८ को पेश हो।</p>	
२९ ^{०५} / _{१८}	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वारा -२०१८ के तहत बैम्प स्थल अदालत सेवा केन्द्र गोकिरपुरा में पेश हुई। वादी व प्रतिवारी गण. १ ता ५ की ओर से राजीनामा पेश किया गया। वादी की पहचान श्री भजना राम एड. ने की तथा प्रतिवारी गण. १ ता ५ की पहचान श्री कस्तुर कुमार वर्मा एड. ने की। उपस्थित पदनाम को राजीनामा पढकर सुनाया गया जिसे सुन व समझ कर उपस्थित पदनाम द्वारा स्वी होना स्वीकार किया गया अतः हस्त (व्वालीश) पदनाम राजीनामा का तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।</p>	<p>अनिल १६-०५-२०१८ १६-०५-२०१८ १६-०५-२०१८ १६-०५-२०१८ १६-०५-२०१८ No. १६-०५-२०१८ TDR No. २९-०५-२०१८</p>

बन्जुलाय उपयपन्न ने मुताबिल राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। बन्जुलाय उपयपन्न के निवेदन पर भूमिधारी तहसीलदार जखैरा ने जोरि आपत्ति जाहीर नहीं की।

मन्नाबती पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से एवं लोक अदालत की भावना से वादी का वाद खर्जा किया जाने योग्य पाया जाने पर हरीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :-



आदेश

तब जम्म जौकरी तहसील जखैरा जिला सीकर राज. अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2073, 2074, 2075, 2619 एकबा 3.54 हे. मूलक हणमान पुत्र शिवनारायण के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा का अकेले वादी को खतियार काश्तला घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/2 हिस्सा से उत्तमी सं. 1 ता 5 के मूलक पिता/पति हणमान पुत्र शिवनारायण का नाम हजफ किया जाता है। अन्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में उमल दामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। मन्नाबती फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाय तलमीत शक्ति दफ्त हो। निर्णय मजमें आम सुनाया गया

28/12/18
जागरिख
शाख
(SAC)
कल
देक

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्पु कोर्ट)

अज अदालत मुकाम
पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीब शावर, RAS

उनका नाम बनान
प्रतिवादी :- श्री भागीब शावर, RAS

दावा बाबत
मुकदमा नम्बर :- 51/2018

निर्णय दिनांक :- 29/05/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री भागीब शावर, RAS व हाजिरी
मिनजानिब मुददई रुबरू श्री भागीब शावर, RAS

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -
तब गाम चोला तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. उत्तर प्रदेश कृषि भूमि
ख. नं. 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2073, 2074, 2075, 2619 का. नं. 354 है.
मृतक हजामत पूजा शिवनाथप्राण के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा का अर्जित बारी को
खतिया काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/2 हिस्सा से प्रतिवादी से
1/2 के मृतक पिता/पुत्र हजामत पूजा शिवनाथप्राण का नाम हजफ किया जाता
है। उन्हातुसार राजस्व तिक्तों में असल दाखल है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 29/05/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)
श्री भागीब शावर
(RAS)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़

※ पुत्र हणमान जाति आचारी (महाब्राह्मण) निवासी चोंकडी
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

※ पत्नी हणमान जाति आचारी (महाब्राह्मण) निवासी चोंकडी
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. - वाडी

② गौरी पुत्री हणमान पत्नी नौलत जाति आचारी (महाब्राह्मण)

③ चमेली पुत्री हणमान पत्नी उकाराम
समस्त जाति आचारी (महाब्राह्मण) निवासी चोंकडी तहसील
खण्डेला जिला सीकर राज. हाल निवासी उह तहसील जायल
जिला नागौर ।



④ बबली पुत्री हणमान पत्नी दिनेश जाति आचारी (महाब्राह्मण)
निवासी चोंकडी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. हाल
निवासी पाटन तहसील श्रीमन्नागाना जिला सीकर राज.

⑤ माया पुत्री हणमान पत्नी महावीर जाति आचारी (महाब्राह्मण)
निवासी चोंकडी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. हाल
निवासी महाजन तहसील लखनगणसर जिला बीकानेर

⑥ भूमिधारी तहसीलका खण्डेला

- प्रतिवादीगण

राजीव शाख 28/5/18

(RAS)

सहायक कलक्टर

खण्डेला